

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 101/2026

पूर्णन्द्र सिंह एवं 6 अन्य

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, सचिवालय, लखनऊ
एवं 5 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – अनुराग सिंह, शिव पाल सिंह

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, दिलीप कुमार पाण्डेय

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शिव पाल सिंह और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आशीष सक्सेना को सुना।
2. जनहित में दायर इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने रायबरेली के जिला मजिस्ट्रेट और महाराजगंज, रायबरेली के उप-जिलाधिकारी को यह निर्देश जारी करने की मांग की है कि वे विरोधी पक्षकार संख्या 6 को ग्राम-कोटवा, पुलिस थाना- शिवगढ़, रायबरेली की मुख्य सड़क पर निर्माण करने से रोकें और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए निजी विरोधी पक्षकार के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करें।
3. महाराजगंज, रायबरेली के उप-जिलाधिकारी द्वारा प्रदान किये गए लिखित निर्देशों के आधार पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने सूचित किया है कि विरोधी पक्षकार संख्या 6-सिया राम ने गांव की ओर जाने वाली सड़क के किनारे एक मकान का निर्माण किया है। उन्होंने लगभग 11 फीट की ऊंचाई पर एक पैरापेट बनाया है, जिसकी एक तरफ की चौड़ाई लगभग 1.5 फीट है और दूसरी तरफ की चौड़ाई 2.5 फीट है। पैरापेट के निर्माण से वाहनों के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। स्थलीय- निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति, स्थल-मानचित्र और निर्माण के चित्र निर्देशों के साथ संलग्न कर दी गई हैं। निर्देशों की एक प्रति अभिलेख में दर्ज की गई है।

4. उपरोक्त निर्देशों से यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक मार्ग को आच्छादित करते हुए पैरापेट का निर्माण किया गया है। यद्यपि भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है, फिर भी सड़कों को ढकते हुए पैरापेट का निर्माण सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण माना जाएगा। यद्यपि यह चार पहिया वाहनों के आवागमन में बाधा नहीं डाल रहा है, फिर भी किसी आपात स्थिति में, यदि किसी अग्निशमन वाहन या खुदाई मशीन को सड़क पर आवागमन करना पड़े, तो पैरापेट उनके आवागमन में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए, सड़कों को आच्छादित करने वाले पैरापेट सड़कों पर अतिक्रमण हैं और इन्हें हटाना आवश्यक है।

5. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए उप-जिलाधिकारी जिला- रायबरेली को यह निर्देश जारी किया जाता है कि वे सड़क किनारे एक तरफ 1.5 फीट और दूसरी तरफ 2.5 फीट चौड़ाई में निर्मित पैरापेट द्वारा किए गए अतिक्रमण को विधि के अनुसार तत्परतापूर्वक हटवाएं।

6 फरवरी, 2026

अमित के

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)